भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 329
02 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

तेलंगाना में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

329. श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा स्थानीय मछुआरों के लिए प्राकृतिक बंदरगाहों और आधुनिक लैंडिंग सुविधाओं को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) तेलंगाना की अंतर्देशीय मात्स्यिकी अवसंरचना के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है और प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (20,050 करोड़ रुपए) के अंतर्गत निधियों का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ब्लू पोर्ट या इसी प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत तेलंगाना के मछुआरों के लिए शीतागार, सुरक्षित लैंडिंग और विपणन सुविधाएं प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि तेलंगाना में प्रतिवर्ष 2.5 लाख टन से अधिक अंतर्देशीय मछली का उत्पादन होता है और क्या सरकार ने क्षमता निर्माण, मशीनीकृत लैंडिंग और बीमा सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है; और

(ङ) क्या सरकार के पास तेलंगाना में बंदरगाह विकास परियोजनाओं का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र है जिसमें निधि का उपयोग और गुणवत्ता मानक भी शामिल है ?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन मत्स्यपालन विभाग द्वारा तेलंगाना समेत सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मात्स्यिकी क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास और मछुआरों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए 20,050 करोड़ रुपए के निवेश से 2020-21 से 2025-26 तक प्रमुख योजना प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, फिशरीस एंड एक्वाकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF) के अंतर्गत राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों सहित पात्र संस्थाओं को चिन्हित किए गए मात्स्यिकी संबंधी इनफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए रियायती वित्त प्रदान किया जाता है। फिशिंग हारबर्स और फिश लैंडिंग सेन्टर्स का विकास मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के तहत परिकल्पित और सहयाता प्रदत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। स्थानीय मछुआरों के लिए प्राकृतिक बंदरगाहों और आधुनिक लैंडिंग सुविधाओं का विकास साइट-विशिष्ट तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता आकलन के आधार पर किया जाता है। इन स्कीम के तहत वित्तीय मदद पाने के लिए, संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकारों को ताकीनी-वित्तीय व्यवहार्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने होते हैं, साथ ही राज्य के शेयर, ज़मीन की उपलब्धता और आवश्यक अनुमोदन की पुष्टि भी करनी होती है। चूंकि तेलंगाना ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है, अत: तेलंगाना के लिए कोई फिश लेंडिंग सेंटर स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ख) PMMSY के तहत, तेलंगाना के लिए 400.00 करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य के साथ 150.00 करोड़ रुपए के केंद्रीय शेयर की परिकल्पना की गई थी। इसके अलावा, तेलंगाना सरकार के प्रस्ताव को 2020-21 से 2024-25 के दौरान 339.37 करोड़ रुपए के कुल प्रस्ताव लागत पर विभिन्न मात्स्यिकी विकास गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए स्वीकृति दे दी गई है, जिसमें 108.73 करोड़ रुपए केंद्रीय शेयर है और तेलंगाना सरकार द्वारा रिपोर्ट किए गए उपयोगिता रिपोर्ट के आधार पर अब तक 39.40 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

(ग) तेलंगाना के लिए PMMSY के तहत स्वीकृत की गई मुख्य पोस्ट हारवेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में मारकेटिंग से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है, जैसे (i) फिश वैल्यू एडेड एंटरप्राइज़ यूनिट (3 यूनिट), (ii) फिश कियोस्क का निर्माण (185 यूनिट), (iii) इंसुलेटेड गाड़ियां (20 यूनिट), (iv) लाइव फिश वेंडिंग सेंटर (20 यूनिट), (v) आइस बॉक्स वाला थ्री-व्हीलर (200 यूनिट) और (vi) हैदराबाद में स्टेट ऑफ़ आर्ट होलसेल फिश मारकेट ।

(घ) वित्त वर्ष 2024–25 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, तेलंगाना में सालाना इनलैंड फिश का प्रोडक्शन लगभग 4.77 लाख टन है। PMMSY के तहत, कैपेसिटी बिल्डिंग, मॉडर्न/मैकेनाइज्ड लैंडिंग सुविधाएं स्थापित करने और इंश्योरेंस सपोर्ट के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, सेंट्रल सेक्टर सब-स्कीम, प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) के तहत, सरकार वन टाईम इंसेंटिव देती है जिसमें एक्वाकल्चर इंश्योरेंस प्रीमियम का 40% कवर हो जाता है, जिसमें अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त 10% का लाभ निर्धारित किया गया है। तेलंगाना में फिश प्रोडक्शन और उससे जुड़ी गतिविधियों को और मजबूत करने के लिए, PMMSY के तहत 47.03 करोड़ रुपए (केंद्र का शेयर 28.22 करोड़ रुपए) के अनुमानित व्यय पर एक होलसेल फिश मारकेट को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, राज्य में पोस्ट-हारवेस्ट मैनेजमेंट और वैल्यू चेन के विकास से जुड़ी गतिविधियों के लिए सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट के तहत एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ङ) चूंकि मात्स्यिकी विकास योजना के तहत विभाग ने तेलंगाना में किसी फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट को स्वीकृति नहीं दी है, अत: प्रश्न नहीं उठता।

****